अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदे   ा–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..तक

जिला.............मधुबनी ..संख्या.– 12/20–21

केश का प्रकार : बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–09 (1) के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकारः– सुशीला देवी

प्रतिपक्षीः–हरि ठाकुर

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर अर्जीकारः– श्रीमती सुशीला देवी जौजे स्व0 राजु ठाकुर, निवासी– जयनगर बाजार कमला रोड, थाना+डाकघर, जयनगर प्रतिपक्षीः– श्री हरि ठाकुर पिता सीताराम ठाकुर, निवासी जयनगर बाजार कमला रोड, थाना+डाकघर–जयनगर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
07.04.2021	प्रस्तुत वाद आवेदिका द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत आवेदन दायर करते हुये आवेदन को एडमिट कर अंचल अधिकारी, जयनगर द्वारा प्रतिपक्षी के नाम कायम जमाबंदी संख्या–3936 को रद्द करने का अनुरोध किया। आवेदिका के आवेदन को एडमिट करते हुये वाद की कार्यवाही प्रारम्भ कर दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रतिपक्षी के रूप में श्री हरि ठाकुर साकिन–जयनगर थाना–जयनगर ने वकालतनामा के साथ वकालतन पक्ष प्रस्तुत किया। वाद संचालन के क्रम में आवेदिका की ओर से **U/S 23 Rule 1(3) C.P.C.** के अंतर्गत आवेदन दिया कि आवेदिका पढ़ी–लिखी नहीं है उन्हें कानूनी जानकारी नहीं है। दायर मूल आवेदन के कुछ दिनों के बाद उन्हें यह समझ में आया कि उनके द्वारा इस न्यायालय में दायर मूल आवेदन में कुछ त्रुटियॉ रह गई हैं। ऐसी स्थिति में आवेदिका ने अपने दायर आवेदन को वापस लिये जाना आवश्यक समझा। आवेदिका ने अपने मूल आवेदन को वापस किये जाने की अनुमति हेतु वकालतन आवेदन दायर किया। चूँकि आवेदिका ने ही अपने आवेदन को वापस लेने का अनुरोध आवेदन दिया है ऐसी स्थिति में उक्त वाद की कार्यवाही को संचालित रखने की आवश्यकता नहीं है। वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। **लेखापित** अपर समाहर्ता, मधुबनी। अपर समाहर्ता, मधुबनी।	